न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 16 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2014 / 00027

वादीगण

मृतवफी वोहता पुत्र लाला, कौम–कलबी, निवासी–सांचौर, तहसील–सांचौर के कायम मुकाम व वारिसान्

अ–सवा पुत्र वोहता

ब–वागा पुत्र वोहता

स–धीरा पुत्र वोहता

द–मला पुत्र वोहता

जातियान–कलबी, साकिनान्– सांचौर, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

प्रतिवादीगण

1 नारणा पुत्र लाला, कौम–कलबी निवासी–काजा का गोलिया सांचौर तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

2 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

3 व्यवस्थापक, मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा–सांचौर, जिला–जालोर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 40, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू :– 14.07.2014

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.10.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा सांचौर का पुराना खेत खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा भूमि हम वादीगण के पिता वोहता वल्द लाला के खातेदारी सुदा, कब्जा काश्त सुदा की है जो बड़ा चक है। समय समय पर भाईयांन बंटवाड़ानुसार भूमि का विभाजन किया जाकर द्वितीय सेटलमेंट में नये खसरा नम्बरान सृजित हुए जिसमें खसरा संख्या 2557 / 3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि हम वादीगण के पिता वोहता की थी। यह भूमि हमारे पिता के कब्जे काश्त में थी हमारे पिता की फौतेदगी के बाद हम वादीगण उक्त भूमि पर काश्त काबिज है लगातार हम वादीगण का कब्जा एवं काश्त प्रेडीसेसर के रूप में चली आ रही है जिसकी बिगोड़ी पूर्व में हमारे पिता व वर्तमान में हम वादीगण अदा करते है। गिरदावरी भी हमारे नाम से प्रेडिसेसर के रूप में होती आ रही है। इस भूमि का हमारे पिता वोहता ने या हम वादीगण ने कभी भी बंटवाड़ा करके प्रतिवादी नारणा को नहीं दी। द्वितीय सेटलमेंट के वक्त तथाकथित खसरा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

संख्या 2557 या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि द्वितीय सेटलमेंट वालों ने प्रतिवादी से मिलावट कर प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी जो जमाबंदी में कहीं खसरा नंबर 2557 इन्द्राज है तो वर्तमान में उक्त भूमि का इन्द्राज 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर इन्द्राज है। यह भूमि कभी भी बंट में प्रतिवादी को नहीं दी हुई है। प्रतिवादी के नाम भूमि कानून के विपरित इन्द्राज हुई है। प्रतिवादी के नाम इन्द्राज होने बाबत हमें कोई नोटिस न तो दिया न ही हमारे पिता वोहता को दिया। हमारी खातेदारी की उक्त भूमि खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना इन्द्राज हुई है। जिस पर प्रतिवादी का कोई अधिकार न तो था एवं न ही है। प्रतिवादी के नाम उक्त भूमि इन्द्राज होने बाबत् हमने प्रतिवादी को कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि मैं तुम्हारे पक्ष में सरकार का नोटिस आएगा तो बयान कर दूंगा व भूमि तुम्हारे नाम दर्ज करवा दूंगा, किन्तु तब प्रतिवादी नारणा की नियत खराब हो गई है। प्रतिवादी ने अभी कुछ दिन पूर्व ऐलानियां धमकियां दी है कि खेत मेरे नाम है, मैं खेत बेच दूंगा लेकिन तुम्हारे नाम भूमि नहीं करवाउंगा। ऐसी सूरत में दावा पेश करने की नौबत पैदा हुई है। प्रतिवादी नारणा हम वादीगण का सगा चाचा है जिस पर हम भरोसा करके बैठे रहे किन्तु अब जमीनों की कीमत बढ़ने से उनकी नियत में फर्क आया तथा प्रतिवादी हमारे नाम भूमि करवाने से आना कानी कर रहा है। बिनायवाद वांके सरहद मौजा सांचौर का पुराना खेत खसरा संख्या 568 जो कि हम वादीगण के पिता वोहता की ही खातेदारीसुदा खेत था जिसमें से खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर इन्द्राज हुआ जिस भूमि बाबत हमारे पिता वोहता ने या हम वादीगण ने प्रतिवादी के पक्ष में कभी भी बंटवाड़ा नहीं किया न ही यह भूमि प्रतिवादी को दी हुई है। द्वितीय सेटलमेंट वालों ने बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी है जो गलत है जिसके हम वादीगण हकदार है। प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज होने के कारण हमें ऐलानियां धमकियां दी है कि जमीन हमारे नाम है, हम बेचान कर देंगे। ऐसी सूरत में बिनायवाद बमुकाम सांचौर पैदा हुआ। मुखास्समात तारीख दावे से है। अतः निवेदन है कि वांके सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज फरमावें तथा उक्त आराजी बाबत् बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें।

वादीगण का उपरोक्त वाद दिनांक 14.07.2014 को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 नारणा ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि मौजा सांचौर का पुराना खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा की आई हुई जिसके नवीन खसरा संख्या 2515 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2516 रकबा 3.12 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2517 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2518 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2519 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2520 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

2516/3275 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2521/3276 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2521 रकबा 3.78 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2557 रकबा 0.86 हैक्टेयर कुल रकबा 10.15 हैक्टेयर बनाये गये है जो मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है उपरोक्त पुराना खसरा नंबर 568 वादीगण व प्रतिवादी व अन्य भाई चेनाराम, विभाराम, हीराराम व अन्य के पैतृक खातेदारी हकों का था लेकिन वादीगण के पिता वोहता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवार के कर्ता के तौर पर किया गया था जो बाद में सभी भाईयों की सहमति से पुराने खसरा नंबर 568 से नवसृजित खसरे 2519, 2520, 2521, 2521/3276 वादीगण के नाम, खसरा नंबर 2515, 2516, 2516/3275, 2575 वादीगण व प्रतिवादी के अन्य भाई तलछा के पुत्रों के नाम एवं खसरा नंबर 2517, 2518, 2557/3317 प्रतिवादी नारणा के नाम दर्ज किये गये जो वादीगण व प्रतिवादी की सहमति से इन्द्राज किया गया इसी माफिक मौके पर भी कब्जा काश्त है। यही बात वादीगण स्वयं इस पैरा में स्वीकार करते है तथा भाईयान के बीच बंटवाड़ा होने की बात का वर्णन भी किया गया है। खसरा नंबर 2557/3317 प्रतिवादी के ही बंट व कब्जा काश्तसुदा है तथा लगातार बिगोड़ी भी प्रतिवादी ही अदा करता आ रहा है। यह खसरा वादीगण के कब्जा काश्त में कभी नहीं रहा है। वादी ने अपने वाद व संपूर्ण अवतरणों में गलत तथ्य पेश किये गये है वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 2557/3317 व खसरा नंबर 2557 दोनों खसरे नंबर 568 का भाईयान के बीच बंटवाड़ा होना वादीगण स्वयं स्वीकार करते है तथा अन्य खसरे के इन्द्रजात बाबत कोई आपति उजर के नाम वादीगण व अन्य भाईयान् की सहमति से ही किया गया है। वादीगण क्लीन हैण्ड माननीय न्यायालय में नहीं आये है। अतः वाद काबिल खारिज है। वादग्रस्त आराजी पर पीढ़ियों से कब्जा काश्त प्रतिवादी का ही चला आ रहा है। अतः वादीगण को धमकियां देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादी नारणा व वादीगण चाचा भतीजे है लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि जमीनों के भाव बढ़ने से प्रतिवादी के मन में खोट आ गया हो वास्तविकता यह है कि वादीगण व प्रतिवादी व अन्य भाईयान की सहमति से करवाये गये इन्द्राजात व कब्जा काश्त से वादीगण मुकर रहे है। अतः वाद काबिल खारिज है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद विनायवाद के अभाव में तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत आराजी के पुराने खसरा नंबर 568 से नवसृजित खसरो का वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य भाईयों की सहमति से एक बार अपने अपने नाम इन्द्राज किया जा चुका है। इस कारण वादीगण क्लीन हैण्ड नहीं होने से तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का लगातार Adeverse Possession होने से वादीगण का वाद खारिज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:– हस्तगत वाद में मुख्य बिन्दू उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

1. आया वांके सरहद मौजा सांचौर का नवीन खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता वोहता की खातेदारीसुदा, कब्जाकाश्त सुदा पुराना खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 13 बिस्वा में से सृजित हुई जो भूमि वादीगण के पिता वोहता ने या वादीगण ने कभी भी प्रतिवादी को बंटवाडे में नहीं दी उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के इन्द्राज हुई जो गलत है व अवैध होने से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार होने से खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि वादीगण अपने नाम घोषित करवाने का हकदार है। (जिम्मे वादीगण)

2. आया उक्त वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का कब्जा काश्त होने से प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का वादीगण हकदार है। (जिम्मे वादीगण)

3. आया विनायवाद के अभाव में वादीगण का वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी सं 1)

4. आया वादीगण ने स्वंय पुराना खसरा संख्या 568 से नवसृजित खसरों का भाईयान् के बीच बंटवाड़ा होना स्वीकार करते है। इस कारण वादीगण वाद लाने से स्टोप्ड है अतः वाद वादीगण का काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

5. आया वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का लगातार एडवर्ज पजेशन होने से वादीगण का वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

6. आया वादीगण न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड नहीं आये है इस कारण वादीगण का वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात प्रकरण में वादीगण की ओर से गवाह वादी सवा पीडब्ल्यू 1, मालाराम पीडब्ल्यू 2, पूंजाराम पीडब्ल्यू 3 के बयान कलमबद्व किये जाकर वादी सवा की ओर से पेश दस्तावेजात् प्रदर्श–1 से प्रदर्श–14 प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी की ओर से गवाह प्रतिवादी नारणाराम डीडब्ल्यू–1, रामकिशन डीडब्ल्यू–2, बाबुलाल डीडब्ल्यू–3 के बयान कलमबद्व किये जाकर प्रतिवादी नारणाराम की ओर से पेश दस्तावेजात् ईएक्स डी–1 से ईएक्स डी–16 प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा सांचौर का पुराना खेत खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता वोहता वल्द लाला के खातेदारीसुदा, कब्जाकाश्त सुदा की है जो बड़ा चक है। उक्त पुराने खसरा संख्या से खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर व अन्य खसरा संख्या नवसृजित हुए। इस प्रकार नवीन खसरा संख्या 2557/3317 वादीगण के पिता

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

वोहता का था। उक्त भूमि पर वादीगण के पिता वोहता काश्त करते थे तथा वोहता के फौत होने पर वादीगण काश्त करते है। द्वितीय सेटलमेंट के वक्त खसरा संख्या 2257/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि द्वितीय सेटलमेंट वालों ने प्रतिवादी से मिलावट कर प्रतिवादी संख्या 1 नारणाराम के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के नाम किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना इन्द्राज हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार न तो था व न है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता वोहता की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा आराजी होने तथा वोहता के फौत होने पर वादीगण की आराजी होने से प्रतिवादी संख्या 1 नारणाराम के नाम उक्त आराजी गलत तरीके से द्वितीय सेटलमेंट वालों ने मिलावट कर दर्ज करवा देने से वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वादीगण ने आर.आर.टी 2020 पेज संख्या 37 रामकल्याण बनाम कालु व आर.आर.टी. 2015 (2) पेज संख्या 1214 चरणसिंह बनुाम खुबी, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज संख्या 24 अभयसिंह बनाम स्टेट, आर.आर.टी. 2018 –19 (Supp) पेज संख्या 505, आर.आर. टी. 2018 (2) पेज संख्या 11030, आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 261, आर.आर.डी. 1983 पेज संख्या 64, 364 कि सहमति के आधार पर भी भू–प्रबन्ध विभाग को इन्द्राज परिवर्तित करने हेतु सक्षम नहीं था यानि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी भी प्रकार से सक्षम अदालत के आदेश के बिना इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावे के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुराना खसरा संख्या 568 रकबा 68 बीघा 12 बिस्वा भूमि से नवीन खसरा संख्या 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2516/3275, 2521/3276, 2557/3317, 2521/2557 जुमले रकबा 10.15 हैक्टेयर नवसृजित हुए है। इस प्रकार उपरोक्त पुराना खसरा संख्या 568 वादीगण प्रतिवादी व अन्य भाई चेनाराम, विभाराम, हीराराम व अन्य के पैतृक खातेदारी हकों का था तथा सभी भाईयों की सहमति से अलग अलग कब्जा काश्त के आधार पर बंटवाड़ा किया गया। इस प्रकार वादीगण स्वयं ने पुराना खसरा संख्या 568 से नवसृजित खसरों का भाईयान के बीच बंटवाड़ा होना स्वीकार करते है। इस प्रकार वादीगण का वाद लाने से स्टोप्ड है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का एडवर्ज पजेशन होने से वादीगण ने न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड वाद पेश नहीं किया है तथा न ही प्रतिवादी के विरूद्व कोई विनायवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई हक, अधिकार नहीं होने से वादीगण का वाद काबिल खारिज योग्य होने से वादीगण का वाद खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का एवं अन्य पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता के बहस पर मनन किया तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश नजीरों का अवलोकन किया। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन अनुसार तनकीयात वाईज निर्णय इस प्रकार है :–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

तनकी संख्या 01 :– उक्त तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में वादी सवा पीडब्ल्यू–1, मालाराम पीडब्ल्यू–2, पूंजाराम पीडब्ल्यू–3 के बयान कलमबद्व करवाये तथा उक्त गवाहों ने सशपथ बयान कर बताया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता वोहता की थी तथा उक्त आराजी पर कब्जा काश्त वोहता का था तथा वोहता के फौत होने के बाद वादीगण का है। इसी प्रकार वादीगण ने प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2030–2033, प्रदर्श–9 जमाबंदी संवत् 2018–2021, प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत् 2022–2025, प्रदर्श–11 जमाबंदी संवत् 2026–2029, प्रदर्श–12 जमाबंदी संवत् 2033–2036, प्रदर्श–13 जमाबंदी संवत् 2042–2045, प्रदर्श–14 जमाबंदी संवत् 2042–2045 अनुसार ग्राम सांचौर के पुराना खसरा संख्या 568 की आराजी वोहता वल्द लाला कौम कलबी सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है जो वादीगण के पिता वोहता के नाम दर्ज होना स्पष्ट है। प्रदर्श–7 मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराना संख्या 568 रकबा 62 बीघा 16 बिस्वा से नवीन खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर व अन्य खसरा संख्या नवसृजित हुए है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी नवीन खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर पुराने खसरा संख्या 568 से नवसृजित होना प्रदर्श–8 मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट होने से वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता वोहता की होना उपरोक्त जमाबंदियों से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 नारणाराम ने अपने जवाबदावे में बताया है कि पुराना खसरा संख्या 568 से ही वादग्रस्त आराजी नवीन खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर नवसृजित हुए है तथा पुराना खसरा संख्या 568 वादीगण के पिता वोहता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज परिवार के कर्ता के तौर पर किया था। इस प्रकार पुराना खसरा संख्या 568 की आराजी वादीगण के पिता वोहता के नाम इन्द्राज होना साबित है। प्रदर्श–3 आधार वर्ष जमाबंदी 01.09.1993 से 31.08.2013 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि वादीगण के पिता वोहता वल्द लाला कौम कलबी के नाम इन्द्राज न होकर प्रदर्श–4 आधार वर्ष जमाबंदी 01.09.1993 से 31.08.2013 के अनुसार उक्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नारणा वल्द लाला कौम कलबी के नाम होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रदर्श–3 व 4 आधार वर्ष जमाबंदी अनुसार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता वोहता के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 नारणा के नाम इन्द्राज किया जाना स्पष्ट है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा पेश पारिवारिक बंटवाड़ा ईएक्स डी–1 जो श्रीमान सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर, पार्टी नंबर 2 जोधपुर कैम्प सांचौर के समक्ष पेश किया गया है तथा ईएक्स डी–10 व 11 नामान्तरकरण व ईएक्स डी–12 से 16 खसरा पत्रक से स्पष्ट है कि उक्त तमाम कार्यवाहीयां सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा की गई है। ईएक्स डी–2 शपथ पत्र वोहता वल्द लाला कलबी द्वारा सहमति बाबत् दिया गया है। उक्त तमाम दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि पुराना खसरा संख्या 568 की आराजी पूर्व में वोहता वल्द लाला कलबी के नाम दर्ज थी तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष सभी पक्षकारों ने

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

यानि वोहता ने सहमति से बंटवाडा कर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 नारणा को दी गई तथा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने उक्त वादग्रस्त आराजी का जरिये नामान्तरकरण के आधार पर प्रतिवादी नारणा के नाम दर्ज की गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आर.आर.टी. 2020 (1) पेज संख्या 37 रामकल्याण बनाम कालु की नजीर पेश कर ध्यान आकर्षित करवाया कि उक्त नजीर में यह स्पष्ट किया गया है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज की यानि सहमति के आधार पर भी भू-प्रबन्ध विभाग इन्द्राज परिवर्तित करने अथवा किसी नये व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में पूरी तरह से चस्पा होती है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावें व उनकी ओर से पेश दस्तावेज ईएक्स डी-1 पारिवारिक बंटवाडा से यह स्पष्ट है कि उक्त तमाम कार्यवाही सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा की गई है जो सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को बंटवाडा करने या किसी नये व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है चाहे वो सहमति से किया गया हो तथा वादीगण द्वारा पेश अन्य नजीरों से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 नारणा के खाते में दर्ज की गई है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिवादी संख्या 1 नारणा के खाते में दर्ज करना स्पष्ट होने से वादीगण खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी पाने का अधिकारी होने से उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह से सफल रहने से तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :-</u> उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादी पीडब्ल्यू-1 सवा, पीडब्ल्यू-2 मालाराम, पीडब्ल्यू-3 पूंजाराम ने सशपथ बयान देकर वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होना स्पष्ट किया है तथा डीडब्ल्यू-1 प्रतिवादी संख्या 1 नारणा स्वयं ने जिरह में यह बात स्वीकार की है कि नया खसरा संख्या मुझे याद नहीं है, पुराने खसरा संख्या से नया खसरा संख्या कौनसा बना है, मैंने पूर्व में कोई साक्ष्य शपथ पेश नहीं किया है। मैंने व मेरे लड़कों ने वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर कोई फसल नहीं चुराई तथा न ही उक्त मुकदमें में हम जालोर जेल गए हो। उक्त मुकदमें में जालोर पेशी पर जाते है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 नारणा के बयानों में भारी विरोधाभासी होना स्पष्ट है तथा प्रतिवादी के गवाह डीडब्ल्यू-2 रामकिशन, डीडब्ल्यू-3 बाबुलाल ने वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है यह बात सही होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बखुबी प्रमाणित होने से तनकी संख्या 02 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूरी तरह सफल रहने से तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट किया है कि विनायवाद वांके सरहद सांचौर का पुराना खेत खसरा संख्या 568 जो कि वादीगण के पिता वोहता की खातेदारीसुदा खेत था जिसमें से खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर इन्द्राज हुआ द्वितीय सेटलमेंट वालों ने बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के प्रतिवादी के नाम दर्ज की है जो गलत है। प्रतिवादी के नाम गलत इन्द्राज होने के कारण वादीगण को ऐलानियां धमकियां दी है कि जमीन हमारे नाम है, हम बैचान कर देंगे। ऐसी सूरत में विनायवाद बमुकाम सांचौर पैदा हुआ है। इस प्रकार वादीगण ने उक्त पैरे में विनायवाद उत्पन्न होना बखुबी स्पष्ट किया है परन्तु प्रतिवादी के विरूद्व किसी भी प्रकार का विनायवाद उत्पन्न नहीं होता है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी के विरूद्व कोई विनायवाद उत्पन्न नहीं होता हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 3 प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करवाने में सफल नहीं रहने से तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, परन्तु उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है तथा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाने से तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 05 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, परन्तु तनकी संख्या 2 अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त होना साबित होने से तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाने से तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 06 :– उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है, परन्तु तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण अपने पक्ष में पूरी तरह से साबित करने में सफल रहने से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन में वादीगण तनकी संख्या 1 लगायत 2 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहने से तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 3 लगायत 6 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

उपरोक्तानुसार मौजा सांचौर के खेत खसरा संख्या 2557/3317 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी वादीगण सवा, वागा, धीरा, मला पिसरान् वोहता जाति कलबी साकिन सांचौर के नाम घोषित की जाती है तथा उपरोक्तानुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है तथा स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलंदाजी करें तथा न ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक **13.10.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर